

डिक्री बमूकदमें इब्तदाई
(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर

तहसील अधिकारी - ओमप्रकाश वर्मा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 41/2022

वादी

1. भंवरलाल पुत्र लोडाराम
2. श्राजाराम पुत्र लोडाराम जाति मेघवाल निवासीगण राजापूरा तहसील डेगाना, जिला नागौर,

बनाम

प्रतिवादीगण

1. लोडाराम पुत्र हरकाराम
2. ओशोक कुमार पुत्र लोडाराम
3. ऊषा पुत्री लोडाराम जातियान मेघवाल निवासीगण राजापूरा तहसील डेगाना जिला नागौर
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल



दावा अधीन धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति -

- 1- वादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से श्री ओमप्रकाश गोदारा, एडवोकेट
- 2- प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से श्री मुकेश बिडियासर एडवोकेट

:: डिक्री आदेश ::

दि. 26/12/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वादी के अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश गोदारा व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री मुकेश बिडियासर एडवोकेट की उपस्थिति मे हुक्म दिया जाता हैं व डिगरी दी जाती हैं कि :-

1. वादी संख्या 1 भंवरलाल के हक बंट कब्जे काश्त खातेदारी में मौजा धीजपुरा के खेत खसरा नम्बर 2077/1996 रकबा 6.1836 में से 1/2 हिस्सा रकबा 3.0918 हैक्टेयर उत्तरी दिशा में रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. वादी संख्या 2 राजाराम के हक बंट कब्जे काश्त खातेदारी में मौजा धीजपुरा के खेत खसरा नम्बर 2077/1996 रकबा 6.1836 में से 1/2 हिस्सा रकबा 3.0918 हैक्टेयर दक्षिणी दिशा में रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।

दि.
मुकेश बिडियासर
(अधिवक्ता)
जायल

भंवरलाल वगैराह बनाम लोडाराम वगैराह
दावा क्रमांक 41/2022
जीसीएमएस क्रमांक 2022/65

3. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 क्रमाशः लोडाराम, अशोक कुमार व ऊषा के आराजी भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी गण द्वारा अपन हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्यूटी जमा होने पर राजस्व रिकोर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें।

आज की तारीख लीज - मुबलिक - बाबत - खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर - फीस सदी सालाना ख.तारीख वसूल योगो तक - को अदा करें। बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 24/12/22 को जारी किया गया

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

मुद्दा	रूपये	पैसे	मुदायला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह साबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीष्नर बबत इजराय हुक्मीजान मुतफर्रिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीष्नर बाबत इजराय हुक्मीजान मुतफर्रिक		

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फरीकन को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं करना चाहिये।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल